

कार्यालय कनिष्ठ अभियंता (रावला मण्डी) जो.वि.वि.नि.लि. रावला
नये विधुत कनेक्शन (घरेलू/अघरेलू) हेतु एस्टीमेट फॉर्म

1. आवेदक नाम :.....पुत्रश्री/पत्नीश्री:.....
2. गाँव/चक/वार्ड.....
3. GPS कोआर्डिनेट नंबर 1. एल.टी. लाइन:.....2.घर.....
4. क्या इस परिसर/आवेदक के निगम का कोई पहले का बकाया है.....
यदि है तो खाता संख्या.....
5. नजदीकी खाता संख्या.....
6. 11 के. वी. फीडर का नाम जिससे उक्त कनेक्शन होना है.....
7. 11 के.वी. फीडर कोड.....
8. बाइंडर ग्रुप:.....
9. स्थान जहाँ आवेदक कनेक्शन लेना चाहता है(आबादी/गैर आबादी):.....
10. यदि आबादी क्षेत्र है तो निम्न ब्यौरा दे—
(अ)अत्तर में..... (ब)दक्षिण में.....
(स)पूर्व में (स) पश्चिम में.....
11. यदि गैर आबादी क्षेत्र है तो निम्न ब्यौरा दे—
(अ) ट्रांसफार्मर की क्षमता.....(ब) फेज.....
(स) ट्रांसफार्मर का स्थान(जंहा लगा है).....
(द) ट्रांसफार्मर पर चालू कनेक्शन की संख्या.....
(य) ट्रांसफार्मर से आवेदक की दूरी.....
(र) नजदीकी एल.टी लाइन से दूरी.....
12. अपरोक्त जॉच मेरे द्वारा की गई है.....
13. साईट का नक्शा इस फॉर्म के पीछे बना दिया गया है।

सहायक अभियंता(वितरण)
जोधपुर डिस्कॉम घडसाना

कनिष्ठ अभियंता(वितरण)
जोधपुर डिस्कॉम रावला मण्डी

एस्टीमेटर
फीडर इंचार्ज.....

कार्यालय कनिष्ठ अभियंता (रावला मण्डी) जो.वि.वि.नि.लि. रावला

नये विधुत कनेक्शन (घरेलू/अघरेलू) हेतु एस्टीमेट फॉर्म

SITE PLAN/SINGLE LINE DIAGRAM			
1	NAME OF APPLICANT		पुत्रश्री / पत्नीश्री
2	NAME OF WORK		

Executive Engineer(O&V)

Jodhpur Discom, APH

Rawla

(Consent of Applicant)

Assistant Engineer(O&M)

Jodhpur Discom, GSN

Junior Engineer(City)

Jodhpur Discom,

प्रपत्र-1

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

नये विद्युत सम्बन्ध (स्थायी/अस्थायी)के लिए/स्वीकृत भार बढ़ाने अथवा घटाने/नाम परिवर्तन (स्वामी वही)/कनेक्शन ट्रांसफर(स्वामित्व का परिवर्तन)/वर्तमान कनेक्शन शिफ्ट करने/वर्तमान कनेक्शन की श्रेणी में परिवर्तन इत्यादि के लिए आवेदन एवं अनुबन्ध प्रपत्र

- | | |
|---|------------------------|
| 1 गॉव का नाम :- | 8 पोल से घर की दुरी :- |
| 2 फीडर का नाम :- | 9 फीडर कोड :- |
| 3 बाईंडर नम्बर :- | 10 आबादी/गैर आबादी :- |
| 4 पूर्व कनेक्शन की बकाया राशि(खाता संख्या) :- | |
| 5 वीसीआर की राशि(वीसीआर नम्बर) :- | |
| 6 पूर्व में स्थापित ट्रांसफार्मर(KVC) :- | |
| 7 स्थापित ट्रांसफार्मर पर कुल कनेक्शन की संख्या(गैर आबादी क्षेत्र में) :- | |

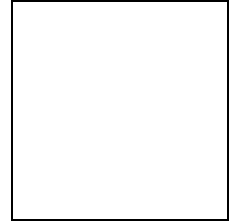
हस्ताक्षर कनिष्ठ अभियंता

हस्ताक्षर तकनीकी कर्मचारी

सहायक अभियन्ता (वितरण)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

रावला ।



1 आवेदक का नाम

पिता/पति का नाम

2 पुरा पता

3 टेलीफोन नं

मोबाईल नं

ई - मेल

4 कनेक्शन की श्रेणी

1 घरेलु

2 अघरेलू(दुकान,कार्यालय,होटल,मन्दिर,अस्पताल,स्कूल,धर्मशाला हेतु)

3 कृषि

4 मध्यम उधोग

5 लघु उधोग

6 मिश्रित भार

7 सार्वजनिक रोषनी

8 वृहत उधोग

6 आवेदक का प्रकार

- 1 नया विधुत संबंध.....किलोवाट/हा.पा./केवीए स्थाई अस्थाई
- 2 भार वृद्धि/घटाना.....खाता सं.....किलोवाट/हा. पा. से किलोवाट/हा.पा.
संविदा मांग.....केवीए से.....कवीए
- 3 वर्तमान कनेक्शन.....खाता.....शिफटींग हेतु.....से.....को
- 4 वर्तमान कनेक्शन.....खाता सं.....का नाम परिवर्तन.....से.....को
- 5 श्रेणी परिवर्तन.....खाता सं.....के श्रेणी में
परिवर्तन हेतु.....श्रेणी से.....श्रेणी में
- 6 वर्तमान कनेक्शन का ट्रांसफार्मर खाता सं.....जो कि श्री.....
के नाम से है उसे श्री.....के नाम.....ट्रांसफर करने हेतु
- 7 बैंक खाते का विवरण.....खाता सं.(बचत/चालू).....
बैंक का नाम एवं शाखा.....

(पासबुक के प्रथम व अन्तिम लेन-देन के पृष्ठ की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें)

- 8 संलग्न दस्तावेज.....एल फार्म/शपथ पत्र

किरायेदार/कब्जेदार होने पर अनुबन्ध पत्र अथवा

क्षतिपूर्ति का पत्र/मकान मालिक होने पर प्रमाण हेतु दस्तावेज

(नाम/श्रेणी परिवर्तन में आवश्यकता नहीं)

पहचान प्रमाण पत्र.....

तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र (कृषि कनेक्शन के लिए)

(मुखिया का राशन कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस/मतदाता का पहचान पत्र/आयकर पेन कार्ड)

- 9 मीटर स्वामित्व 1 आवेदक 2 जोधपुर विधुत वितरण निगम का

10 मैंने इस आवेदन/अनुबन्ध पत्र के पिछे सभी शर्तें पढ एवं समझ ली है इन सभी शर्तों में तथा
“विधुत आपूर्ति हेतु शर्तों एवं निबन्धन”(ITC) की अन्य शर्तों से मैं सहमत हू। इस प्रार्थना पत्र में कोई भी
गलत सूचना देने से अनुबन्ध हट सकता है यदि विधुत सम्बन्ध दे दिया गया तो इस आधार पर विधुत
सम्बन्ध काटा जा सकता है। मैं अपने विधुत फिटिंग की स्वयं सुरक्षा एवं देखरेख करूंगा और सुरक्षा
नियमों का पालन करूंगा।

साक्षी के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

नाम

पुत्रश्री/पत्नीश्री

पता

पता

दिनांक

दिनांक

उपयोग हेतु आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि(सहायता हेतु पीछे क्र. स. 1 व 2 देखे)

- 1 प्रार्थना पत्र शुल्क
- 2 स्टाम्प ड्यूटी शुल्क
- 3 मीटर बाक्स कीमत
- 4 विधुत उपयोग सुरक्षा राशि
- 6 अग्रिम राशि
- 7 अन्य

आवेदन भरने हेतु सहायक जानकारी

आवेदन/अनुबन्ध के क्र.स. 6(i) में (आवेदित सम्बन्ध भार की गणना निम्नानुसार करें)

क्र. स.	भार का वर्णन	संख्या	वॉल्टेज	कुल वॉल्टेज
1	2	3	4	5=(3x4)
1	बल्ब/फैन/लाईट प्लग(5 एम्पीयर)		60 वॉट	
2	ट्यूब लाईट		40 वॉट	
3	टेलीविजन कलर/श्याम श्वेत		100/60 वॉट	
4	पावर प्लग(एम्पीयर)		500 वॉट	
5	फ्रिज /कुलर		250 वॉट	
6	गीजर		1500 वॉट	
7	एयर कंडीशनर 1 टन/1.5 टन		1500/2200 वॉट	
8				
9				
	कुल योग			

2 आवेदन/अनुबन्ध प्रपत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्टाम्प ड्यूटी के लिए क्र.स. 6(i) के क्रम में।

प्रार्थना पत्र शुल्क—

1 एल.टी. सप्लाई

सिंगल फेज रु.200/—थ्री फेज रु.500/—

कृषि रु.75/— ग्रामीण रु.250/— शहर

एचटी/इएचटी सप्लाई

11 के.वी. सप्लाई रु. 1000.00

33 के.वी. रु. 2000.00

132 के.वी. रु. 4000.00

220 के.वी. रु. 4000.00

- 2 स्टाम्प ड्यूटी रु.10/- (किरायेदार/कब्जेदार होने पर स्टाम्प शुल्क 100/- अतिरिक्त देय होगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर रु.10/- एवं किरायेदार/कब्जेदार होने पर नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर रु. 100/- का अतिरिक्त।)
- 3 मीटर बॉक्स कीमत सिंगल फेज मीटर रु.350/- श्री फेज राशि रु.950/-रु.
- 4 मीटर सुरक्षा राशि सिंगल फेज मीटर रु.350/- श्री फेज राशि रु.650/-रु.
- 5 सुरक्षा राशि प्रोविजनल मकान मालिक हेतु-घरेलु 100/-रु.प्रति कि.वा., अघरेलु 200/-रु. प्रति कि. वा. किरायेदार/कब्जेदार हेतु-उपरोक्त की दो गुणा राशि।
- 6 अग्रिम राशि कृषि कनेक्शन हेतु-2500/-रु. ग्रामीण रु. 5000/-रु. शहरी क्षेत्र एससी/एसटी ग्रामीण क्षेत्र 250/-रु.
- 7 सर्विस कनेक्शन शुल्क
- घरेलु- कच्ची बस्ती-200/रु. अन्य क्षेत्र 3000/-रु. ग्रामीण आबादी क्षेत्र 1500/-रु. ग्रामीण नॉन आबादी क्षेत्र 3500/-रु. ट्राइबल सब प्लान 750/-रु.
- अघरेलु- 1 कि.वा.भार तक 3000/-रु. 1 कि.वा. भार के उपर 5 कि.वा. तक 4000 5 कि.वा. से उपर 10 कि.वा. तक 6000/-रु. 10 कि. वा. से उपर अतिरिक्त पर 250/-रु. प्रति कि. वा.
- नोट- 1 नये कनेक्शनो के अतिरिक्त अन्य आवेदनो पर प्रार्थना पत्र शुल्क देय नहीं है।
 2 भार घटाने, वर्तमान कनेक्शन शिफ्टिंग, कनेक्शन परिवर्तन ट्रांसफर हेतु पूर्व कनेक्शन कर्ता द्वारा सहमति होने पर सुरक्षा राशि देय नहीं है।
- 3 दस्तावेज संलग्न करें- परिवर्तन स्थान के स्वामित्व के दस्तावेज की प्रति।
- 1 एल फार्म-परिसर में बिजली की फिटिंग विधुत अधिनियम 2003 के अनुरूप है, का सर्टिफिकेट लाइसेन्सधारी/मान्यता प्राप्त ठेकेदार का मान्य है। ग्रामीण क्षेत्र हेतु शपथ पत्र मान्य है।
- 2 आवेदक के किरायेदार/कब्जेदार होने पर संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज का प्रारूप-
- कमान मालिक द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाते है तो अनुबन्ध पत्र संलग्न करना होगा अन्यथा क्षतिपूर्ति बंध पत्र संलग्न करना होगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत

(NOC)

क्रमांक :-

दिनांक:-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री
जाति साकिन

पुत्रश्री/पत्नीश्री

को विद्युत/पानी का

कनेक्शन मकान पट्टा शुदा/कब्जा शुदा/दुकान न

को दिया जाता है तो पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर

संरपच/सचिव

ग्राम पंचायत

क्षतिपूर्ति बंध पत्र

(500/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर)

जो कि मैं	पुत्र/पत्निश्री	उम्र	जाति	निवासी
	ने सहायक अभियन्ता		वि.वि.नि के	

कार्यालय में विधुत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है।

जैसा कि वि. वि. नि. ने उक्त स्थित मकान/दुकान

को मेरे द्वारा आपेक्षित विधुत कनेक्शन के लिए मकान/दुकान की सहमति मांगी है।

जबकि मैं मकान/दुकान मालिक सहमति पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ चूँकि वि.वि.नि. ने इस सम्बन्ध में मुझ से लिखित वचन चाहा है अगर मैं और मकान/दुकान मालिक में मध्य इस विधुत कनेक्शन के सम्बन्ध में अगर किसी न्यायालय के समक्ष विवाद उत्पन्न होता है तो निगम इस मामले में शामिल नहीं होगा फिर भी निगम को इस कारण हुई किसी भी प्रकार की क्षति/खर्चों की क्षति पूर्ति करने का मैं वचन देता हूँ। अतः यह अनुबन्ध मकान/दुकान मालिक की बिना सहमति के निगम द्वारा मुझे उक्त परिसर में कनेक्शन दिये जाने हेतु साक्ष्य किया जाकर मैं वचन देता हूँ कि निगम को इस संबंध में हुए वादकरण के कारण हुई सभी प्रकार की हानियों/क्षतियों एवं खर्चों की क्षति पूर्ति का वचन देता हूँ।

स्थान—

साक्षी का नाम

निष्पादक के हस्ताक्षर

दिनांक:—

शपथ—पत्र

मैं	पुत्र/पत्नि श्री	उम्र	वर्ष	जाति
	निवासी	तहसील		जिला
	राज0) का/की है।			

शपथ पूर्वक घोषित करता हू कि मेने घरेलु विधुत कनेक्शन हेतु फिटिंग का कार्य मैने लाईसेन्सड कोन्टेक्टर सुवरवाईजर/वायरमैन द्वारा इंडियन इलैक्ट्रिक सिटी रूलस 1956/ इलैक्ट्रिक सिटी रूलस/2005 के प्रावधानो के अनुसार पूर्णकर टेस्ट करवा लिया है।

दिनांक:—

पहचानकर्ता

उपभोक्ता

विधुत कनेक्शन हेतू शामिल रहे ।

पहचानकर्ता

उपभोक्ता

मैं
निवासी
तहसील

पुत्र/पत्नि श्री